फायरिंग होने पर भी घबराए नहीं दोनों दिलेर भाई

पिस्टल-कट्टे के बट के हमले से खून से लथपथ, फिर भी नहीं डरे

Shanker.Singh@timesgroup.com

■ नई दिल्ली: झपटमारी में सफल नहीं होने पर बदमाश स्कूटर सवार भाइयों को फोन के लिए धमकाने लगा। नहीं दिया तो बदमाश ने आगे चलकर देख लेने की धमकी दी। वजीराबाद पुल पार करने के बाद एक ने बाइक उनके स्कूटर के आगे लगा दी। पीछे से स्कूटर सवार बदमाश भी आ गया। दोनों ने पिस्टल और कट्टा तान दिया। एक भाई ने फोन दे दिया, जबकि दूसरे ने नहीं दिया। इनके स्कूटर की चाबी निकाली तो छोटे भाई ने छीन ली। दोनों भाई बदमाशों पर टूट पड़े। पिस्टल वाले बदमाश ने दोनों के पैरों पर फायरिंग की, लेकिन वो घबराए नहीं। पिस्टल और कट्टे के बट से हमला हुआ, तो खून से लथपथ हो गए। बदमाशों से कट्टा-पिस्टल छीना और नीचे गिरा दिया। घबराकर बदमाश पिस्टल, कट्टा, बाइक और स्कूटर छोड़ फरार हो गए।

बाइक मलकागंज से और स्कूटर कृष्णा नगर से चोरी की गई थी

हिमांशु उपाध्याय (19) सभापुर गांव स्थित मिलन गार्डन में रहते हैं। उन्होंने मामा के बेटे विशाल (23) के साथ सिविल लाइंस में मोबाइल शॉप खोली है। उन्होंने बताया कि रविवार रात करीब 11 बजे शॉप बंद की। दोनों भाई वजीराबाद से नानकसर की ओर स्कूटर से आ रहे थे। वजीराबाद पुल पर स्कूटर सवार बदमाश ने फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। आगे चलकर देखने की धमकी दी। नानकसर के करीब श्मशान घाट वाले कट पर बाइक सवार बदमाश ने उनके आगे बाइक लगा दी।

स्कूटर सवार भी पहुंच गया। दोनों नीचे उतरे। स्कूटर वाले ने पिस्टल तो बाइक वाले ने देशी कट्टा तान दिया। बाइक वाला हिमांशु से कहने लगा कि आई-फोन दे, वरना गोली मार देंगे। हिमांशु ने दूसरा फोन बैग से निकाल दे दिया। बदमाश विशाल से भी फोन मांगने लगे, जिसने कहा उसके पास नहीं है। बदमाश ने उनके स्कूटर की चाबी निकाल ली। हिमांशु ने तुरंत छीन ली। बदमाश पिस्टल और कट्टे के बट से हिमांशु और विशाल के सिर पर मारने लगे। दोनों के सिर फट गए।

पिस्टल वाले बदमाश ने हावी होने पर दोनों के पैर की तरफ गोलियां चला दी। जख्मी हिमांशु ने बाइक वाले से कट्टा छीना। विशाल को पीट रहे बदमाश की पिस्टल भी झपट ली। दोनों भाइयों ने बदमाशों को जमीन पर गिरा दिया और पीटना शुरू कर दिया। इससे बदमाश घबरा गए, जो बाइक और स्कूटर छोड़ भाग खड़े हुए। दोनों भाइयों ने पिस्टल और कट्टा बैग में रख लिया। जख्मी हालत में सड़क पर गुजर रहे लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया।

दोनों भाइयों ने पिस्टल और कट्टा बैग में रख लिया। जख्मी हालत में सड़क से गुजर रहे लोगों से मदद मांगी, लेकिन **कोई भी** आगे नहीं आया

'जिप्सी पर आई पुलिस, पर नहीं की मदद'

■ दोनों भाइयों का आरोप है कि एक पुलिस की जिप्सी वहां आई तो उन्होंने रोका। दो पुलिसकर्मी सवार थे, जिनको पूरा वाकिया बताया और पिस्टल-कट्टा भी दिखाया। दोनों ने मदद करने के बजाय 112 नंबर पर कॉल करने की हिदायत दी और चले गए। इसके बाद एक ऑटो में सवार तीन लड़कों ने उनकी मदद की। बदमाशों के स्कूटर और बाइक को वहां खड़ा किया। दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां से पुलिस को सूचना मिली। पुलिस को मौके से गोली का एक खाली खोल मिला है। पिस्टल, कट्टा, स्कूटर और बाइक जब्त कर लिए गए हैं। स्कूटर और बाइक दोनों चोरी के पाए गए हैं।

शराबबंदी वाले गुजरात के लिए कंटेनर गाड़ी में छिपाकर ले जा रहे थे शराब

जांच में पता चला कि कंटेनर दो भागों में बांटा गया था

■ विस, नई दिल्ली: ईस्ट जिला के मंडावली पुलिस ने कंटेनर में 'सीक्रेट जगह' बनाकर शराब तस्करी करने का पर्दाफाश किया है। राजस्थान के सीकर निवासी कंटेनर ड्राइवर राम करन सिंह (46), नागौर निवासी हेल्पर सतपाल सिंह (46), उत्तम नगर दिल्ली निवासी डैनी (33) और लक्ष्मी नगर निवासी रुपेश गुप्ता (50) को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 350 पेटी शराब बरामद की, जिनमें 75 पेटी बीयर की है। कंटेनर, 196 गद्दे, फर्जी नंबर प्लेट, असली नंबर प्लेट और एक कार भी जब्त किए गए। पूछताछ में पता चला कि शराब बंदी वाले राज्य गुजरात में यह शराब सप्लाई करने के लिए ले जा रहे थे।

मंडावली थाना पुलिस ने तस्करी पकड़ी, 350 पेटियां रिकवर की

डीसीपी (ईस्ट) प्रियंका कश्यप ने बताया कि सोमवार देर रात कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज की ओर से आ रहे एक कंटेनर को एक सूचना पर रोका गया। हरियाणा नंबर प्लेट लगे कंटेनर के रुकते ही एक कार भी रुक गई। इससे दो लोग उतरे, जो खुद को पत्रकार बता रहे थे। उन्होंने बताया कि कंटेनर उनका है, जिसमें गुजरात में गद्दे भेज रहे हैं। पुलिस ने कंटेनर को खोला तो वही माल निकला। सूचना पुख्ता थी तो पुलिस ने गहनता से जांच की। पता चला कि कंटेनर दो भागों में बांटा गया था।

कंटेनर के केबिन में ड्राइवर की सीट हटाने पर पीछे जाने के लिए गुप्त दरवाजा बनाया गया था। इसे खोलकर देखा तो वहां शराब थी। कंटेनर ड्राइवर, हेल्पर और कंटेनर को अपना बताने वाले दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी डैनी और रुपेश ने बताया कि वो कंटेनर को एस्कॉर्ट कर आ रहे थे, जिसके लिए उन्हें 50 हजार रुपये मिलते थे। यह शराब दिल्ली से खरीदी गई थी, जिसे शराबबंदी वाले राज्य गुजरात ले जाया जा रहा था।

आंबेडकर यूनिवर्सिटी के साथ मर्ज हुआ डीयू का कॉलेज ऑफ आर्ट

एडमिशन के लिए जारी नोटिफिकेशन में दी जानकारी

■ एनबीटी न्यूज, नई दिल्ली

डॉ. भीम राव आंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली (एयूडी) में कॉलेज ऑफ आर्ट (सीओए) को शामिल कर लिया गया है। इसकी जानकारी एयूडी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर के दी गई है। दरअसल, यूनिवर्सिटी की तरफ से नए सेशन 2022-23 में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन (डीटीटीई) सचिव की तरफ से नए सेशन 2022-23 में एडमिशन प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कहा है। इस नोटिस में लिखा है कि सीओए कॉलेज अब एयूडी यूनिवर्सिटी का पार्ट है। कॉलेज की वेबसाइट पर एडमिशन प्रक्रिया की जानकारी जल्द ही अपलोड की जाएगी। डिग्री कोर्स के बारे में जानकारी देते हुए लिखा है कॉलेज में दो डिग्री कोर्स होंगे। पहला बैचलर ऑफ फाइन आर्ट (बीएफए) और दूसरा पीजी डिग्री कोर्स होगा। चार साल के बीएफए डिग्री कोर्स को दो पार्ट में बांटा गया है। पहले दो सेमेस्टर (एक साल) में फाउंडेशन कोर्स और बाकी 6 सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं, दो साल के एमएफए कोर्स में फाइन आर्ट्स में एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। जिसके अंदर अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंटमेकिंग और विजुअल कम्युनिकेशन से संबंधित सब्जेक्ट होंगे।

नोटिफिकेशन के अनुसार, एयूडी के माध्यम से सीओए में नए सेशन के लिए जल्द शुरू होंगे एडमिशन

एकेडमिक्स फॉर एक्शन एंड डिवेलपमेंट (एएडी) ने आंबेडकर यूनिवर्सिटी को 11 मई को जारी नोटिफिकेशन को तुरंत वापस लेने के लिए कहा है। बताया कि यह नोटिफिकेशन डीयू के नियमों की अवहेलना करता है। कहा है कि सीओए डीयू का अभिन्न अंग है। डीयू के 11 शिक्षकों ने मंगलवार को कुलपति योगेश सिंह को चिट्ठी लिखकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स (सीओए) में प्रवेश प्रक्रिया आंबेडकर यूनिवर्सिटी के तहत शुरू किए जाने के मामले में दखल देने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ने अकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए औपचारिक रूप से आंबेडकर यूनिवर्सिटी के हिस्से के तौर पर बीएफए और एमएफए कोर्स में एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पुलिस जब पकड़ने गई तो टॉइलट में बहा दी ड्रग्स, 2 सप्लायर गिरफ्तार

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली, पंजाब और देश के अन्य राज्यों में कुरियर कंपनी के जरिए ड्रग सप्लाई से जुड़े इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का स्पेशल सेल ने खुलासा किया है। सेल ने सिंडिकेट के दो अहम पैडलर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक नाइजीरियन है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चाणक्य प्लेस निवासी 37 वर्षीय राकेश कुमार और महेन्द्रा पार्क निवासी 47 वर्षीय ओबुमुनेमे नवाचूकवू के तौर पर हुई है। स्पेशल सेल ने इनके पास से 6.2 किलो हेरोइन बरामद की है। जिसकी इंटरनेशलन मार्केट में कीमत करीब 40 करोड़ रुपए से ज्यादा है। नाइजीरियन को स्पेशल सेल जब पकड़ने गई, तो उसने ड्रग को घर के टॉयलेट में डालकर फ्लश कर दिया। जांच में पता चला कि ओबुमुनेमे नवाचूकवू पर 20 साल की सजा और 2 लाख रुपये का फाइन लग चुका था। एनसीबी ने इसे ड्रग के केस में दो अन्य नाइजीरियन के साथ 2012 में अरेस्ट किया था। 2020 में उसे दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिली, जिसके बाद वह फिर से इस धंधे में शामिल हो गया।

कुरियर कंपनी के जरिए दिल्ली, पंजाब और देश के अन्य राज्यों में ड्रग सप्लाई करते थे

इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का खुलासा

स्पेशल सेल के डीसीपी जसमीत सिंह के मुताबिक, इंटरनेशनल रैकेट के बारे में टीम लगातार ट्रैक कर रही थी। इसी कड़ी में 12 मई को इनपुट के आधार पर राकेश को मुकरबा चौक बस स्टैंड के पास से पकड़ गया। इसके बैग की तलाशी लेने पर 4 किलो हेरोइन मिली। इस बाबत स्पेशल सेल थाने में एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। राकेश से पूछताछ में पता चला उसने हेरोइन की यह खेप चाणक्य प्लेस उत्तम नगर में रह रहे नाइजीरियन मूल के एक नागरिक से ली थी।

3000 पव्वों के साथ तस्कर दबोचा

■ विस, नई दिल्ली: साउथ-वेस्ट दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब के तीन हजार पव्वों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके टेंपो को भी सीज कर लिया गया है। यह हरियाणा से अवैध शराब दिल्ली लाता था। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया।

हरियाणा से दिल्ली तस्करी करता था अवैध शराब

डीसीपी मनोज सी ने बताया कि गिरफ्तार टेंपो ड्राइवर का **नाम** रणवीर सिंह है। 35 साल का रणवीर शिव विहार, करावल नगर का रहने वाला है। इसके टेंपो से पुलिस ने अवैध शराब के तीन हजार पव्वे जब्त किए। जो 60 कार्टन में भरे हुए थे। गुरुग्राम और बहादुरगढ़ बार्डर से अवैध शराब की तस्करी को लेकर जिले के स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी। पुलिस ने मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए इस टेंपो की पहचान कर इसका पीछा किया।

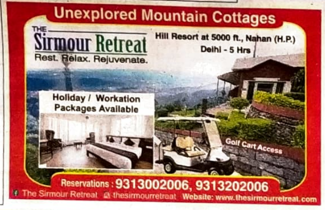

डीयू : कॉलेज में प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाने का विरोध

आइसा के बैनर तले हुआ प्रदर्शन

■ एनबीटी न्यूज, नई दिल्ली : डीयू के हंसराज कॉलेज में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए प्राइवेट कोचिंग सेंटर के साथ हाथ मिलाने को लेकर स्टूडेंट ने विरोध किया है। मंगलवार को कॉलेज कैंपस के अंदर प्रशासनिक भवन के बाहर ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन (आइसा) के बैनर तले प्रदर्शन हुआ। यूनियन का कहना है कि आईएएस की कोचिंग के लिए कॉलेज प्रशासन ने निजी संस्थान 'बीकन आईएएस' के साथ गठजोड़ किया है। इसके लिए स्टूडेंट से फीस के नाम पर मोटी रकम ली जाएगी।

हंसराज कॉलेज कैंपस के अंदर हुआ छात्रों का प्रदर्शन

जारी किए गए ब्रॉशर से पता चलता है कि कोर्स की फीस 75 हजार से 1.5 लाख रुपये तक जाएगी। ऐसे में इस कोचिंग का फायदा सिर्फ कुछ स्टूडेंट को ही मिलेगा। पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह के निजी कोचिंग सेंटर को चलाने की अनुमति नहीं है। इसके बाद भी कोचिंग चलाने को लेकर कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर ब्रॉशर डाला गया है। स्टूडेंट्स की मांग है कि इस तरह की निजी कोचिंग क्लास को बंद किया जाए। अगर ऐसी कोई सुविधा शुरू हो भी रही है, तो सभी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाई जाए। वहीं, इसका विरोध शिक्षक संघ (डूटा) भी कर रहा है। गौर करने वाली बात है कि हंसराज कॉलेज से पहले रामानुजन कॉलेज ने सीयूईटी की परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया था। जिसका शिक्षकों ने विरोध किया। फिर इस निर्णय को रामानुजन कॉलेज ने वापस ले लिया है। इसके साथ श्रद्धानंद कॉलेज में कोचिंग शुरू करने की योजना बनाई जा रही है।

OFFICE OF THE RESIDENT COMMISSIONER
GOVT. OF MADHYA PRADESH, MADHYA PRADESH BHAWAN
2, LOKPRIYA GOPINATH BARDOLAI MARG
CHANAKYAPURI, NEW DELHI-110021
Phone No. 011-42340180,190 Fax:- 23019461

NIT No. 03/CIVIL/MADH/MPB/2022 — Dated: 13.05.2022

TENDER NOTICE

Sealed tenders for A/R, S/R & MoW (Annual Repair, Special Repair and Minor Original Work) in State Guest Houses of Government of Madhya Pradesh at New Delhi, namely, Madhya Pradesh Bhawan, 2 Lokpriya Gopinath Bordoloi Marg, Chanakyapuri, New Delhi - 110021 and Madhyanchal, 12 IHC Pocket, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi are invited with two bid system (Technical bid & Financial bid) through e-Tendering website **www.tenders.gov.in** or **www.mpbhawan.gov.in** in the prescribed proforma from registered contractors in CPWD/ State PWD/ DDA/ NDMC/ MCD and reputed firms.

Last date and time of submission	07.06.2022 upto 3.00 p.m.
Date and Time of Opening of Technical Bid	08.06.2022 at 3.00 p.m.
Pre-bid meeting	25.05.2022 at 03:00 pm
Date and Time of Opening of Financial Bid of qualified bidder	16.06.2022 at 03:00 p.m.
Probable cost of work	₹ 25.00 Lakh
EMD	₹ 50,000/-
Cost of Tender Document	₹ 1,000/-

G-12952/22 — Sd/-
Addl. Resident Commissioner
M.P. Bhawan, New Delhi

EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2022

(₹ in crores, except per share data)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31 March 2022 (Audited)	Quarter ended 31 December 2021 (Unaudited)	Quarter ended 31 March 2021 (Audited)	Year ended 31 March 2022 (Audited)	Year ended 31 March 2021 (Audited)
1	Income					
	a) Revenue from operations	1,101.75	1,068.23	952.51	3,705.19	2,780.90
	b) Other income	7.03	7.42	7.44	27.57	21.30
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	136.37	160.18	169.20	510.17	412.74
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	136.37	160.18	169.20	510.17	412.74
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items and after minority interest)	95.76	122.02	127.09	376.98	308.05
5	Total comprehensive income for the period [Comprising Profit for the period (after tax), Other comprehensive income (after tax) and after minority interest]	95.78	121.85	127.30	376.53	308.26
6	Equity share capital (Face value of Re 1/- per share)	15.92	15.92	15.91	15.92	15.91
7	Other equity (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year.				2,106.46	1,852.95
8	Earnings per equity share (EPS): (face value : ₹ 1 per share) (EPS for the quarters/periods is not annualised)					
	a) Basic:	6.02	7.68	7.99	23.69	19.37
	b) Diluted:	6.01	7.67	7.99	23.68	19.37

Notes:

1. The above consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 17 May 2022. The statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results.
2. The above results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ('Ind-AS') as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended), specified under section 133 of the Companies Act, 2013.
3. **Additional information on standalone financial results is as follows:**

(₹ in crores)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31 March 2022 (Audited)	Quarter ended 31 December 2021 (Unaudited)	Quarter ended 31 March 2021 (Audited)	Year ended 31 March 2022 (Audited)	Year ended 31 March 2021 (Audited)
1	Income					
	a) Revenue from operations	987.00	950.49	859.26	3,299.38	2,523.20
	b) Other income	11.37	11.56	11.68	43.77	38.25
2	Net Profit before tax	133.02	147.66	154.08	485.05	412.81
3	Net Profit after tax	97.67	112.75	115.14	362.34	307.95
4	Total comprehensive income for the period	97.74	112.58	115.31	361.91	308.12

4. The Board of Directors has recommended a final dividend of ₹ 3/- per equity share of face value of ₹1/- each for the financial year ended 31 March 2022 subject to the approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting. During the year, the company has paid Interim Dividend of ₹8/- per equity share aggregating to ₹ 127.34 crores thereby making the total dividend of ₹11/- per share (previous year ₹10/- per share) aggregating to ₹175.09 crores.
5. Pursuant to the Scheme of Amalgamation (Scheme) for merger of Kajaria Tiles Private Limited with the Holding Company, as approved by the National Company Law Tribunal, Chandigarh through its order dated 26 November 2021, Kajaria Tiles Private Limited, a wholly owned subsidiary has been merged with the Holding Company w.e.f. 1 April 2019. Accordingly, the Holding Company had accounted for the merger under the pooling of interest method retrospectively for all periods presented as prescribed in IND AS 103 - Business Combinations of entities under common control.
6. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the website of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the Company's website at www.kajariaceramics.com.

Place: New Delhi
Date: 17 May 2022

For and on behalf of the Board
Ashok Kajaria
Chairman & Managing Director

KAJARIA CERAMICS LIMITED
Regd Office: SF-11, Second Floor, JMD Regent Plaza, Mehrauli-Gurgaon Road, Village Sikanderpur Ghosi, Gurgaon-122001 (Haryana)
Corporate Office: J-1/B-1 (Extn), Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044
Ph: 91-11-26946409, Fax: 91-11-26949544, 91-11-26946407
CIN: L26924HR1985PLC056150, E-mail: investors@kajariaceramics.com, Website: www.kajariaceramics.com